

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान) करियप्पा मार्ग, लखनऊ छावनी -226002 Principal Controller of Defence Accounts (Central Command) Cariappa Road, Lucknow Cantt.—226002

कार्यालय फोन सं.-0522-2451084/कार्यालय फेक्स सं-0522-2453038 Office Phone No.-0522-2451084/Office Fax No.-0522-2453038

E.Mail-pcdaccan1a.dad@gov.in



FAX/e-mail/Speed Post

संख्या : प्रशा/1अ/6017/संघ सदस्यता/2022-23

सेवा में

विनॉक: 28/03/2022

प्रभारी अधिकारी, सभी अधीनस्थ कार्यालय (All Sub Offices of Organization) मुख्य कार्यालय, लखनऊ के सभी अनुभाग (All Sections of Main Office) क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ (Regional Training Centre, Lucknow) एकीकृत वित्तीय सलाहकार (मध्य कमान) लखनऊ (IFA (CC), Lucknow)

विषय : सी.सी.एस. (आर.एस.ए.) नियम 1993 के तहत संघ की सदस्यता के लिए कर्मचारियों द्वारा

विकल्प का प्रयोग और वर्ष 2022-23 के लिए अंशदाने की वस्ती

SUB: Excercising of option by the staff for Association membership under the CCS (RSA) Rules 1993 and recovery of subscription for the year 2022-23.

डी.ओ.पी.टी. के ओ.एम. संख्या 2/10/80-JCA दिनॉक 31 जनवरी 1994 के पैरा 2.2, 2.3 एवं 2.5 के अंतर्गत कर्मचारियों के द्वारा संघ की सदस्यता का विकल्प का प्रयोग प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में किया जा सकता है एवं सदस्यता अंशदान की कटौती डी.डी.ओ. द्वारा जुलाई माह में की जा सकती है।

As per para 2.2, 2.3 & 2.5 of DoPT OM No. 2/10/80-JCA dated $31^{\rm st}$ January 1994, option for Association membership can be excercised by the staff in the month of April each year and recoveries of membership subscription shall be made by the DDO in the month of July.

- 2. प्रत्येक कर्मचारी जो किसी विशेष सेवा संघ, जैसे AIDAA (CB) Pune या AIDAEA (HQ) Kolkata का सदस्य बनने का इच्छुक है उसे लिखित में अपनी सहमति संतरन नमूना प्रारुप में देना होगा।
- 2. Every staff desiring to become a member of a particular service association, viz AIDAA (CB) Pune or AIDAEA (HQ) Kolkata, has to give in writing his/her consent as per the specimen format enclosed.
- 3. जो कर्मचारी अपनी सदस्यता उसी संघ में जारी रखना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंनें पिछले वर्ष सहमित दी थी उन्हें इस वर्ष अर्थात 2022-23 में किसी भी फार्म को भरने की आवश्यकता नहीं है और निर्धारित अंशदान की कटौती उनके पिछले विकल्प के अनुसार की जाएगी।
- 3. The members of staff who wish to continue their membership of either of the two recognized staff association for which consent had been given last are not required to fill any form this year i.e. 2022-23 and the prescribed recovery will be effected on the basis of the option excersied last.
- 4. स्टाफ के सदस्य निम्नलिखित स्थितियों पर अपनी वर्तमान सदस्यता को बदल सकते हैं:-
- 4. Member of the staff may change their present status on the following conditions:-
- i) किसी भी संघ के सदस्य नहीं है और किसी संघ के सदस्य बनना चाहतें हैं।

- i) Not being a member of either Associations or desiring to become members of an Association.
- ii) किसी भी संघ के सदस्य हैं और अपनी सवस्यता समाय करना चाहते हैं।
- ii) Being a member of either of the Association and wanting to discontinue the membership altogether.
- iii) किसी संघ के सदस्य हैं और किसी और संघ के सदस्य वनना चाहते हैं।
- iii) Being a member of an Association and wanting to become a member of the other association.

यदि उक्त वर्णित बिन्दु (iii) के कारण विकल्प प्रपन्न भरा जाए तो अन्य संघ की सदस्यता समाप्त करने का विकल्प प्रपन्न भरना अनिवार्य है। यदि सदस्यता बदलने हेतु विकल्प प्रपन्न के साथ अन्य संघ की सदस्यता समाप्त करने का विकल्प प्रपन्न नहीं पाया गया लो उसपर विदार नहीं किया जाएगा। नए विकल्प का प्रयोग विनाँक 01/04/2022 से 30/04/2022 या अप्रेल 2022 के अंतिम कार्य दिवस तक ही कर सकते हैं। In case of option form being filled for reason at point (iii) above, the form declaring withdrawal for membership of the other Association is manadatory. In such a case, if a change is recovered without such withdrawal form, the option form will not be considered. Fresh option has to be excercised w.e.f. 01/04/2022 to 30/04/2022 or the last working day of April 2022.

- 5. कर्मचारियों द्वारा विधिवत भरे गए प्रपन्नों को सबिधत संग्र के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, जिसके लिए सदस्यता लेने का प्रपन्न भरा गया है। उन कार्यालयों/स्टेशनों के संबंध में जहाँ कोई शाखा संघ कार्य नहीं कर रहा है, उस विशेष कार्यालय/स्टेशन में कार्यरत संध का समन्वय निकाय विकल्प प्रपन्न को प्रमाणित कर सकतें हैं। ऐसे स्टेशनों में जहाँ संघ का समन्वय निकाय भी काम नहीं कर रहा है, वहाँ संघ मुख्यालय द्वारा अधिकृत/नामित व्यक्ति प्रपन्नों को प्रमाणित करेंगें।
- 5. The forms duly filled in by the members of staff have to be authenticated by the authorized functionary of the concerned Association for which the membership is proposed to be taken. In respect of offices/stations where no Branch Association is functioning, coordination body of the Association functioning in that particular office/station shall authenticate the option forms. In stations where even the coordinating body of the Association is not functioning, the person authorized/nominated by the HQrs Association shall authenticate the option forms.
- 6. श्री चन्द्र प्रकाश, वरि.लेखाधिकारी को इस संघ सदस्यता विकल्प की पूरी प्रकिया के लिए नामित किया गया है तथा मुख्य कार्यालय हेतु अंकित विकल्प प्रपन्न अधोहरूताक्षरी द्वारा जारी एवं स्वीकार किए जाएगें एवं स्प कार्यालयों में प्रभारी अधिकारी समस्त विकल्प प्रपन्न जारी एवं स्वीकार कर अधोहरूताक्षरी को त्वरित डाक/गोपनीय द्वारा प्रेषित करें ताकि दिनाँकं 09/05/2022 तक इस कार्यालय को प्राप्त हो सके।
- 6. Shri Chandra Prakash, SAO has been nominated for dealing with the entire process of excercising option and will be responsible for issuing the numbered option forms to the individuals and for accepting the completed forms in case of Main Office, PCDA (CC) Lucknow and in case of sub-offices, the officer-in/charge will collect all forms and forward them to the under-signed under Speed Post/Confidential cover so as to reach latest by 09/05/2022.
- 7. उप कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी को सोंपी गई जिम्मेदारी को प्रभारी अधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को नहीं सौंपी जा सकता हैं और पूरी प्रक्रिया के दौरान सर्वत निष्पन्नता का पालन करना चाहिए। किसी भी संघ हेतु पक्षपात के लिए प्रभारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

- 7. The responsibility entrusted to the officer-in-charge of sub offices should not be delegated by the officer-in-charge to any official and strict neutrality must be observed during entire exercise. It will be the personal responsibility for favoritism to either of the Association.
- 8. एक बार विकल्प प्रयोग करने एवं अधोहस्ताक्षरी या प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करने के बाद वह वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम माना जाएगा।
- 8. The option once exercised and submitted to the undersigned & officer-in-charge of sub offices shall be final for the year 2022-23.

कृपया पावती प्रेषित करें। Please acknowledge receipt.

संलग्नक : यथावर्णित Encl : As above

> र्प्रिक्र संयुक्त∕नियंत्रक (प्रशा.)